

THE COURT — JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Date of  
order of  
Proceeding

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Case No. 600 312/16  
Investigating Officer

Parties of  
leaders who  
Necessary

आज आरक्षी केन्द्र जोगेंद्र-चौधरी के उपनिरीक्षक / राहायक  
आरक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक की ओर से अपराध  
द्वारा शाना धारा 185 अधिनियम के अधीन दण्डनीय  
अंतर्गत धारा 185 अधिनियम के विरुद्ध  
अभियुक्त / अभियुक्तागण के विरुद्ध  
संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तागण के विरुद्ध  
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री उप०।

श्रमियुक्त / आभियुक्तगण  
 निरु ३१५५०१२१  
 निरु ३१५५०१२१

निवासी / निवासीगण  
राज्य  
जिला  
अभियुक्त / अभियुक्तगण  
मोहोरपण्डम / वकालतनामा  
प्रस्तुत

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र संग्राह्य के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दरतावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्यः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिनियम के अधीन कार्यवाही किंगे जाने के भावदोस0 / ..... अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 150-(1) द0प्र0स0 के अधीन सज्जान लिख जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आप ज्ञाते हैं।  
6003/246 में दर्ज



Date of  
order or  
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

चूंकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 185, M.N. Act भा0द0स0/ अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरहित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखवद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को ..... दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसूदा संपत्ति ..... रुपये राजसात लिये जाये। संपत्ति ..... गूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसूदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक गंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 15000 रुपये अदा की जिराकी पावती बुक क0 5624 रसीद क0 64 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संवत्त हो।

A.K. Gupta  
Judicial Magistrate First class,  
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

20/05/2024  
याचिका दाखिल  
लेख